

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

05
01.07.23

न्यायालय, उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी, राँची
सी० सी० ए० वाद सं० - 44 / 2022-23

राज्य

बनाम

धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची (झारखण्ड)विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 485/डी०सी०बी० दिनांक 09.05.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमें आरोप पत्र भी समर्पित है:-

1. कोतवाली थाना काण्ड सं०-25/21, दिनांक- 29.01.2021, धारा-341/323/384/ 386/392/506/34 भा० द० वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
2. कोतवाली थाना सन्हा सं०-21/23, दिनांक-04.03.2023
3. कोतवाली थाना सन्हा सं०-48/23 दिनांक 05.03.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक-977/उपा० दिनांक 30.04.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची एक सक्रिय असमाजिक अपराधकर्मी है, जो वर्तमान में जेल से बाहर है। विपक्षी का मुख्य पेशा रंगदारी करना है। इनके द्वारा अवैध हथियार के बल पर रंगदारी मांगने से स्थानीय लोग डरे सहमे रहते हैं और कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कुछ कहना नहीं



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
------------------------------	--------------------------------	---

1 2 3

2

चाहते हैं। इनके गतिविधियों के सत्यापन के दौरान पता चला कि इनके द्वारा कोतवाली एवं आसपास के दुकानदारों, ठेकेदारों, व्यवसायियों को धमकी दी जा रही है। इनके द्वारा जमीन कारोबारियों को भी अवैध वसूली हेतु धमकी दी जा रही है। इनकी अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय एवं दहशत का माहौल है, जिस कारण से लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा - धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामीला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय में कभी उपस्थित ही हुए, ना ही उन्होंने कारण पृच्छा समर्पित किया है। विगत तिथि को पुकार होने पर भी विपक्षी की ओर से इस वाद में बहस करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है, जिनका पेशा अवैध हथियार के बल पर रंगदारी मांगना है। वे एक शांतिर आदतन असमाजिक तत्व हैं, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त अपराधकर्मी अपराधकर्मी धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा-3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची को दिनांक 08.07.23 से दिनांक 07.10.23 तक की अवधि के लिए कोतवाली थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड


आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

3


अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा- 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी कोतवाली के समक्ष रू० 10,000/-का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 07.07.23 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 08.07.23 से दिनांक 01.07.23 तक प्रत्येक दिन कोतवाली थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा- 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति धमेन्द्र यादव पिता-बजरंगी यादव, निवासी - नागा बाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)


जिला दण्डाधिकारी

राँची


जिला दण्डाधिकारी

राँची